**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 3260**
**07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**गुणवत्तापूर्ण और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता**

**3260. श्रीमती संध्या राय:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की एकसमान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई समयबद्ध राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो 2014 से अब तक इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई निधि कितनी है, वर्षवार व्यय कितना है और वर्तमान प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार की भिंड और दतिया सहित ऐसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए भावी कार्य योजना क्या है; और

(घ) देश में उक्त कार्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए चिकित्सा महाविद्यालयों, नर्सिंग महाविद्यालयों, गंभीर देखरेख ब्लॉकों, ज़िला अस्पतालों के उन्नयन, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों और अन्य स्वास्थ्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का राज्य-वार, विशेषकर मध्य प्रदेश में और विशेष रूप से भिंड तथा दतिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (घ): 'जन स्वास्थ्य' और 'अस्पताल' राज्य के विषय हैं। देश में गुणवत्तापूर्ण और विशेष स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में स्वास्थ्य अवसंरचना, स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में मानव संसाधनों, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुँच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एनएचएम के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नियमों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही रिकार्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाती है। मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए आरओपी का विवरण निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस), जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में परिचर्या की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक रूपरेखा उपलब्ध कराता है। इनमें सेवा प्रावधान, रोगी अधिकार, इनपुट, सहायक सेवाएं, नैदानिक परिचर्या, संक्रमण नियंत्रण, गुणवत्ता प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इससे रोगियों के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं और स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के प्रति सार्वजनिक भरोसे में वृद्धि होती है।

हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई), एक वार्षिक प्रकाशन है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य परिचर्या प्रशासनिक डेटा पर आधारित है। मध्य प्रदेश के भिंड और दतिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सहित पूरे देश के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों (डीएच) और अन्य स्वास्थ्य अवसंरचना की उपलब्धता का विवरण, एचडीआई 2023-24 के निम्नलिखित लिंक पर एचएमआईएस पोर्टल के तहत प्रकाशनों के अंतर्गत देखा जा सकता है: https://hmis.mohfw.gov.in

एएएम पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार देश में उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके मध्य प्रदेश में 12,789 एएएम सहित 1,86,696 एएएम को कार्यशील किया गया था। इनमें से, भिंड और दतिया संसदीय क्षेत्रों के भिंड जिले में 258 और दतिया जिले में 141 एएएम को कार्यशील किया गया।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभिम) केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) के कुछ घटक शामिल हैं, जिसे स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी, जन स्वास्थ्य कार्रवाई और स्वास्थ्य अनुसंधान को एकीकृत करने वाले सुधारों के माध्यम से भारत की जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कार्यान्वित किया गया था, जिसमें महामारियों और अन्य जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए जन स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता को बढ़ाया जाता है।

योजना के सीएसएस घटक के अंतर्गत, पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 5 वर्षों की अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 11001 भवन-रहित उप-स्वास्थ्य केंद्रों– आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एसएचसी-एएएम), 5456 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (शहरी-एएएम), 2151 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयाँ (बीपीएचयू), जिला अस्पताल/सरकारी मेडिकल कॉलेज स्तर पर 744 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (आईपीएचएल) और 631 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी), जिसमें मध्य प्रदेश में 50 सीसीबी (भिंड और दतिया जिले में 1-1) शामिल हैं, के निर्माण/सुदृढ़ीकरण और स्थापना के लिए 32,961.10 करोड़ रुपये की राशि हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किए गए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए सीएसएस का प्रबंधन करता है, जिसमें उन क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहाँ कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। इस योजना के अंतर्गत, देश में प्रस्तावित सभी 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के 14 कॉलेज शामिल हैं। दतिया में एक मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई थी। नर्सिंग शिक्षा को बढ़ाने के लिए सीएसएस - चिकित्सा महाविद्यालयों के पास ही नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना के तहत, सरकार ने मौजूदा चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ सह-स्थान पर 157 नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत, मध्य प्रदेश में 14 नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई थी, जिसमें दतिया जिले में 1 शामिल है।

******